न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 46 / 2022

1. उन्नस
2. जमशेद पिसरान नसरूद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम पढेनी तहसील ताबडू जिला मेवात नूंह हरियाणा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नसरूद्दीन पुत्र शेरमौहम्मद
2. अलीजान पुत्र नसरूद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम पढेनी तहसील ताबडू जिला मेवात नूंह हरियाणा
3. मुमताज पुत्री जमील जाति मेव नाबालिग जरिये बलीसरपस्त माता रूकसीना जाति मेव निवासी ग्राम पढेनी तहसील ताबडू जिला मेवात नूंह हरियाणा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी (भरतपुर)
5. उपपंजीयक महोदय, पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री मौहम्मद खाँ वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3

दिनांक :– 10 / 04 / 2023

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 1711/0.34, 2898/0.14, 2902/0.06, 2867/0.06, 2868/0.07, 2869/0.06 हैक्टर बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 व तरतीवी प्रतिवादीगण अप्रार्थी संख्या 1 की सन्तान है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं आराजी मुतदाविया संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी से अर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 व तरतीवी प्रतिवादीगण को सहभागिता के आधार पर समान हक व हकूक हासिल होते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व तरतीवी प्रतिवादीगण ने ग्राम पढेनी तहसील ताबडू में अपनी पैत्रिक सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 24/1/1/1 के 1/2 हिस्सा रकबा को हरियाणा सरकार द्वारा आवाप्त करने के बदले में प्राप्त मुआवजा राशि से दिनांक 22/05/2007 को इन्दर सिंह पुत्र हरनाम सिंह , मंगल सिंह , कुलवन्त सिंह पिसरान अमरसिंह , बंशोबाई पत्नी अमरसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम सहसन से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर अर्जित किया परिवार का मुख्य कर्त्ता अप्रार्थी संख्या 1 होने के कारण आराजी मुतदाविया का बयनामा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कराया गया था । आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण असल एवं तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ग्राम पढेनी में स्थित पैत्रिक आराजी से अर्जित की गई है जिस पर प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के साथ वाहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी आराजी मुतदाविया पर संयुक्त रूप से कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दिल में प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी के सम्बन्ध में बदयान्ती आ गई है। जिसको पूरा करने के लिये अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्व रिकॉर्ड में आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर दिनांक 25/05/2007 को अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 2 ने आराजी खसरा नम्बर 2374/0.14 , 2376/0.06 हैक्टर का एक महज कागजी बयनामा सब रजिस्ट्रार पहाडी के यहाँ अपने नाम तहरीर करा लिया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा सुनी की तो उस वक्त अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बयनामा तस्दीक नहीं कराया और अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनका हिस्सा देने का आश्वासन दिया। परन्तु इसके बाबजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी बदयान्ती की गरज से आराजी में से प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की आराजी से महरूम करने के उद्देश्य से एक बार पुनः

ब्रण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 18/11/2021 को आराजी खसरा नम्बर 1711/0.34, 2898/0.14, 2902/0.06, 2867/0.06, 2868/0.07, 2869/0.06 हैक्टर बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष मे रोबरू सब रजिस्ट्रार पहाडी के यहाँ तहरीर व तस्दीक कराकर जरिये इन्तकाल नम्बर 144 से राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम परिवर्तन कर लिया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को मुताबिक कानून सम्पूर्ण आराजी के रकबा में से अपने व्यक्तिगण हिस्सा से अधिक रकबा का दान पत्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में तहरीर कराकर तस्दीक कराने का कोई अधिकार नहीं था । यह कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से से महरूम करने के उद्देश्य से महज कागजी राजस्व रिकॉर्ड मात्र इन्द्राज परिवर्तन करने के उद्देश्य से की गई है जिससे अप्रार्थी संख्या 3 को कोई राईट ऑफ टाईटल प्राप्त नहीं होते है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कराये गये अवैध गैरकानूनी दान पत्र के आधार पर आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम इन्तकाल नम्बर 144 से राजस्व रिकॉर्ड में कतई गलत खिलाफ कानूनी खिलाफ मौका कब्जा इन्द्राज किया जा रहा है दिनांक 17/02/2022 को प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी एवं तहसीलदार पहाडी के यहां से नकल दान पत्र लेने पर हुई। विदी वजह प्रार्थीगण दावीदार है एवं जरिये अदालत आराजी मुतदाविया वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के साथ वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है एवं आराजी के संबन्ध में दान पत्र दिनांक 18/11/2021 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में जो अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज किया जा रहा है उसे कलमजन कराकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम वाहिस्सा बराबर के इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है। असल अप्रार्थीगण का विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबा से कभी कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में पहले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हो रहे गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जरिये दान पत्र से राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन करा दिया जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अप्रार्थीगण आराजी मुतदाविया को दीगर शख्सों को रहन वय मुन्तकिल करने की फिराक में है। जिसकी बाबत असल अप्रार्थीगण ने दिनांक 18/02/2022 को प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थीगण एवं तरतीदी प्रतिवादीगण को अपने–अपने हिस्से की आराजी के संबन्ध में ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरें नकद या अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। विदी वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे ताफैसला मुकदमा आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करावे। प्राईमा फैसाई केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति पूर्णतः हम प्रार्थीगण एवं तरतीयी प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रकट है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियो को रहन वय मुन्तकिल न करे एवं प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर कब्जा नाजायज ना करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत व निराधार मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की भूमि हडपने की नियत से दायर किया गया है जो काबिले खारिजी है। आराजी मुतदाविया अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित सम्पत्ति है जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध कभी भी नहीं रहा है अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ग्राम पढेनी (मेवात) को राज्य सरकार द्वारा आवाप्त किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीगण काफी अरसे से अलग रहते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जो पढेनी में स्थित है । किसी प्रकार का कोई संबन्ध प्रार्थीगण का नहीं है। अप्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर कब्जा व काश्त है। मुस्लिम लॉ के तहत विरासतन एवं उत्तराधिकारी का अधिकार पिता की जीवित रहते हुये नहीं मिलते तथा उत्तराधिकार के आधार मुस्लिम कानून में मृत्यु के पश्चात पैदा होते है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिजी है तथा न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। आराजी भूमि बांके ग्राम सहसन तहसील पहाडी में स्थित है उसे अप्रार्थी संख्या 1 ने मेहनत मजदूरी करके खरीद किया था इसलिए उक्त आराजी स्व अर्जित होने के कारण जिसे अप्रार्थी को उसे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

हस्तान्तरित या रहन वगै मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 3 मुमताज जो कि नाबालिग है एवं अपनी माता रूकसीना पत्नी जमील के संरक्षण में रहती है। अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है को कराया गया दान पत्र उपपंजीयक पहाडी के समक्ष पंजीबद्ध कराया गया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 अपनी आराजी पर वाहैसियत खातेदार काबिज काश्त है और आराजी पर मौके पर कब्जा है। तथा अप्रार्थी संख्या 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिए प्रार्थीगण आराजी के संबन्ध में किसी प्रकार की घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दर्ज किये गये झूठे मुकदमें की आड में नाबालिग अप्रार्थी संख्या 3 की कृषि भूमि को हडपना चाहते है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम सहसन प्रथम में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थी संख्या 3 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है । प्रार्थीगण ने आराजी को पैतृक आराजी बताया है। प्रार्थीगण ने आराजी के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया है। पंरन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी को स्वं अर्जित होना बताया है एवं इस संबंध में नकल रजिस्टर्ड बयनामा भी प्रस्तुत किये है। अतः प्रथम दृष्टया स्वं अर्जित सम्पत्ति के संबंध में प्रार्थीगण के पिता के जीवन काल में अनुतोष पाने के हकदार नहीं है। प्रार्थीगण के हक हकूक मूल दावे में ही साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर निर्णित होगे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017 (2) आर0आर0टी0 907 कमलेश बनाम रणजीत सिंह प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

खण्ड अधिकारी
पाटी (भरतपुर)

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह निर्धारित हो चुका है कि आराजी प्रथम दृष्टया स्वं अर्जित है एवं प्रार्थी के हक हकूक मूल दावे में ही निर्णित होगे। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से

Scanned with OKEN Scanner

पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 02/03/2022 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner